

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 96/2025

उनवान

1. जमालुदीन पुत्र श्री शफी मोहम्मद जाति मुसलमान नि० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. अमीरदीन पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. सत्यनारायण पुत्र रामपाल जाति मण्डोवरा नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. श्रीमती रामू देवी पत्नि बंशीललाल जाति कुमावत नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. किशनलाल पुत्र रूपलाल गुर्जर नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
5. भैरू पुत्र गोपी गुर्जर नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
6. छेवगिरी पुत्री बालबापू नागा जाति गिरी नि० कविनगर रेल्वे स्टेशन छो बावडी सगसजी, हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)
7. कृष्णा देवी पत्नि ओमप्रकाश स्वर्णकार नि० आई.सी.आई.आई.सी.आई बैंक लि० के पास हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. बालूराम पुत्र रूपलाल गुर्जर नि० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 09-06-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 26 की आराजी नम्बर 1376 रकबा 0.0632 हैक्टर, आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.5690 हैक्टर, कुल किता 02 रकबा 0.6322 हैक्टर, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.05.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 03 लगायत 08 विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 1,2 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 1,2 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 1,2 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।




उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)

--:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 26 की आराजी नम्बर 1376 रकबा 0.0632 हैक्टर, आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.5690 हैक्टर, कुल किता 02 रकबा 0.6322 हैक्टर, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें। आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।



  
(मेहन छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)